कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग बस्तर जिला, जगदलपुर

— अधिसूचना —

क्रमांक क/भू–अर्जन/06/अ–82/2014–15 जगदलपुर, दिनॉक 11 जुलाई ,2017

चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में वर्णित भूमि की इन्द्रावती नदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा –19 (1) के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

— अनुसूची —

भूमि का वर्णन –

1/ जिला — बस्तर
2/ तहसील — तोकापाल
3/ ग्राम/नगर — छापरभानपुरी, प0ह0नं0–02,
4/ भूमि का क्षेत्रफल — 1.57 हेक्टेयर

खसरा नबंर	रकबा (हेक्टेयर में)
368	0.05
383	0.04
366	0.93
364	
811	
384	0.05
805/1	0.05
805/2	0.12
812/1	0.05
813	0.20
807	0.05
808	0.03
योग – 10	1.57

1/ भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू–अर्जन अधिकारी, तोकापाल जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2/ प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर, जिला बस्तर
एव पदेन उप सचिव,छत्तीसगढ़
शासन राजस्व विभाग

(नियम 19 (2) देखिए)

कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग बस्तर जिला, जगदलपुर

– अधिसूचना –

क्रमांक क/भू–अर्जन/06/अ–82/2014–15 जगदलपुर दिनॉक 11 जुलाई, 2017

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत यह धोषित किया जाता है कि **ग्राम छापरभानपुरी तहसील तोकापाल** की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगें ।

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो व्यौरा दें ।
1	2	3
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता ।
02	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता ।
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता ।
04	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ–7–4/सात–1/2015/दिनॉक 29.08.2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू–अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची ''दो'' की कण्डिका–4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	लागू नहीं होता ।
06	विस्थापित कुटुबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता ।
07	पशु बाड़ा/ छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता ।
08	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	लागू नहीं होता ।
09	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता ।
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता ।
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता ।

2– तद्अनुसार आज दिनॉक 11/07/2017 को यह धोषणा पत्र जारी किया जाता है ।

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर,
बस्तर जिला